उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिनांक 15/10/2024

ई–मेल द्वारा

दिशा–निर्देश संः 31 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024

विषयः– वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024 एवं 09/2024–सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के सम्बन्ध में।

1. कृपया पूर्व में निर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 241/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल 2020 दिनांक 24.06.2024 (संलग्नक) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विद्युत वितरण निगमों द्वारा प्रदान की जा रही विद्युत वितरण के अतिरिक्त अन्य सेवाओं पर जी0एस0टी0 लागू किये जाने हेतु अवगत कराया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहेंगे कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024–सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के अनुसार उपरोक्त तालिका में उल्लिखित बिन्दु–वार विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों में से बिन्दु संख्या 1 से 17 पर अंकित सभी प्राप्तियों पर पूर्व में लागू 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की जगह दिनांक 10.10.2024 से भविष्य में उक्त प्राप्तियों पर जी0एस0टी0 भारित नहीं किया जायेगा तथा बिन्दु संख्या 18 पर अंकित डिपॉजिट वर्क के सम्बन्ध में अग्रिम आदेशों तक यथावत् 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 भारित किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

S. no	Billing system service Heads	Nature	GST Applicable	GST Rate
1	Interest on security Deposit	Interest	No	-
2	Disconnection charges	Other services	No	-
3	Reconnection charges		No	-
4	Cheque Dishonor charges		No	-
5	Theft charges(Assessment)	Electricity Charges	No	-
6	Theft charges (Compounding)	Summon Fees	No	-
7	OTS Registration Fee (which is adjusted in bill on full payment)	Security Deposit	No	-
8	OTS Registration Fee (Which is forfeited as miscellaneous amount in case of OTS non-payment)	To tolerate an act	No	-
9	Processing Fee for Load change/New Connection/Category Change/Name Change/ Temp Connection Extension	Other services	No	-
10	Re inspection charges		No	-
11	Meter cost on New Connection/On replacement of Defective/Burnt Meters		No	-
12	Meter checking and testing through Check Meter		No	-
13	Charges for Meter replacement (higher capacity)/Meter Shifting		No	-
14	Charges for Meter Installation/Removal on Temporary Connection		No	-
15	Resealing fo Meter (special cases)		No	-
16	Checking of Capacitor (on consumer request)		No	-
17	Service Line Charges (Labour and overhead charges)		No	-
18	**Deposit Work**		**Yes**	**18%**

2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/2024–सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के अनुसार निम्नलिखित सेवा पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अन्तर्गत जी0एस0टी0 देय होगाः–
"Service by way of Renting of any property other than residential Dwelling to a registered person."

अतः दिनांक 10.10.2024 के पश्चात किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा **आवासीय परिसर के अलावा** अन्य संपत्ति को निगम को किराए पर देने की सेवा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अंतर्गत आएगी।

संलग्नकः यथोपरि।

(नितिन निझावन)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)

दिशा–निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नितिन निझावन)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Goverament Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्रांक /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक / /2020

प्रबन्ध निदेशक
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

कृपया पूर्व में निर्गत जी0एस0टी0 दिशा–निर्देश सं0 09/उ0प्र0पा0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2018 दिनांक 24.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया था कि टैक्स रिसर्च यूनिट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये सर्कुलर संख्या 34/8/2018–जी0एस0टी0 दिनांक 01.03.2018 के अनुसार विद्युत पारेषण एवं वितरण निगम द्वारा प्रदान की जा रही विद्युत पारेषण एवं वितरण सेवाएं ही जी0एस0टी0 में कर मुक्त सेवा मानी गयी है। इसके अलावा विद्युत पारेषण एवं वितरण निगम द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाएं (Ancillary Services) जी0एस0टी0 के दायरे में आयेंगी।

उपरोक्त के अनुक्रम में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की SE (IT Cell)/RAPDRP इकाई द्वारा सूचित विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों पर जी0एस0टी0 की प्रयोज्यता निम्नलिखित अनुसार निर्धारित की जायेगी –

S.L. No.	Billing system Service Heads	Nature	GST Applicable?	GST Rate	HSN/ SAC Code
1.	Interest on Security Deposit	Interest	No	-	-
2.	Disconnection Charges	Other Services	Yes	18%	998631
3.	Reconnection Charges		Yes	18%	998631
4.	Cheque Dishonour charges		Yes	18%	999794
5.	Theft charges (Assessment)	Electricity Charges	No	-	-
6.	Theft charges (Compounding)	Summon Fees	No	-	-
7.	OTS Registration Fee (which is adjusted in bill on full payment)	Security Deposit	No	-	-
8.	OTS Registration Fee (which is forfeited as miscellaneous amount in case of OTS non payment)	To tolerate an act	Yes	18%	999794
9.	Processing Fee for Load change/New Connection/Category Change/Name Change/Temp Connection Extension	Other Services	Yes	18%	998631
10.	Re inspection charges		Yes	18%	998631
11.	Meter Cost on New Connection/ On replacement of Defective / Burnt Meters		Yes	18%	998631
12.	Meter checking and testing through Check Meter		Yes	18%	998631
13.	Charges for Meter replacement (higher capacity)/Meter Shifting		Yes	18%	998631
14.	Charges for Meter Installation/ Removal on Temporary Connection		Yes	18%	998631
15.	Resealing of Meter (special cases)		Yes	18%	998631
16.	Checking of Capacitor (on consumer request)		Yes	18%	998631
17.	Service Line Charges (Labour and overhead charges)		Yes	18%	998631
18.	Deposit Work		Yes	18%	999799

उपरोक्त तालिका के अनुसार ऐसी प्राप्तियां जिस पर जी0एस0टी0 की देयता आती है, को वसूलने पर उपभोक्ता को Tax Invoice निर्गत किया जायेगा। Tax Invoice का प्रारूप एवं सम्बन्धित नियम पूर्व में निर्गत जी0एस0टी0 दिशा–निर्देश पत्र सं0: 01/उ0प्र0पा0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017–18 दिनांक 10.07.2017 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सूचित किये जा चुके है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट –

उपरोक्त सेवाओं (जमा कार्य एवं ऐसी सेवायें जिसके सापेक्ष प्राप्तियों को पूंजीकृत किया जाता है को छोड़कर) को प्रदान करने हेतु निगम द्वारा क्रय किये गये सामग्री, सेवाओं इत्यादि पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 निगम को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) के रूप में उपलब्ध होगा एवं जिसका समायोजन उपरोक्त सेवाओं पर देय जी0एस0टी0 के सापेक्ष किया जा सकेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट से सम्बन्धित नियम समय–समय पर इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत किये जा चुके है।

उदाहरण हेतु –

उपरोक्त तालिका में क्रम सं0 02 एवं 03 पर अंकित है Disconnection/Reconnection Charges वसूलने पर जी0एस0टी0 देय होगा एवं जिसकी वर्तमान जी0एस0टी0 दर 18 प्रतिशत है। यदि निगम Disconnection/Reconnection हेतु उपभोक्ता से Rs. 1500 + GST @ 18% 270 = कुल Rs. 1770 वसूलता है एवं Disconnection/Reconnection सेवाओं हेतु निगम का किसी वाह्य सेवाप्रदाता की सेवाएं अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त करता है एवं सेवाप्रदाता को Disconnection/Reconnection हेतु Rs. 1000 + GST @ 18% 180 = कुल Rs. 1180 का भुगतान अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सेवाप्रदाता को देय होता है तब इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी –

1. निगम को उपभोक्ता को Rs. 1770 (1500 + 270 GST) का Tax Invoice निर्गत करना होगा, तद्नुसार Rs. 270 का जी0एस0टी0 सरकार को भुगतान हेतु देय होगा।
2. सेवाप्रदाता से प्राप्त टैक्स इनवाईस के आधार पर सेवाप्रदाता को भुगतान किया गया जी0एस0टी0 Rs. 180 निगम को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा एवं इसका समायोजन Rs. 270 की देयता के विरूद्ध किया जा सकेगा।
3. कुल देय जी0एस0टी0 (Rs. 270) में से इनपुट टैक्स क्रेडिट (Rs. 180) को समायोजित करते हुए अन्तर की राशि Rs. 90 (270-180) सरकार के खाते में जमा करायी जायेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया केवल उदाहरण मात्र है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा–निर्देश सं0: 241/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 तद्दिनांक 24/06/2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त)/(वाणिज्य), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त)/(वाणिज्य), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/ कानपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (आई0 टी0 सेल), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

संलग्नक :– यथोपरोक्त

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

(क) मद (ज) में,

(क) उप-मद (i) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-मद (ii) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्तूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. 388(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 08/2024- Central Tax (Rate)

G.S.R. 620(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

1. (i) In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25A	Heading 9969 or Heading 9986	**Supply of services by way of providing metering equipment on rent, testing for meters/transformers/capacitors etc., releasing electricity connection, shifting of meters/service lines, issuing duplicate bills etc., which are incidental or ancillary to the supply of transmission and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their consumers.**	Nil	Nil"

(B) after serial number 44 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

Ms. Sarita
Pl. put up.
9/10/24

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 09/2024- Central Tax (Rate)

G.S.R. 623(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 13/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, after serial number 5AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3) and (4) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5AB	Service by way of renting of any property other than residential dwelling.	Any unregistered person	Any registered person."

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification number 13/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 14/2023 -Central Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 765(E), dated the 19th October, 2023.